न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 110/2025(GCMS 2025/438)
(RTI No. 21236723429 7193)

श्री मुकन्द सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह निवासी 5 केएसडी पो.ओ. सुखचैनपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

<u>बनाम</u>

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>29.12.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मुकन्द सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.10.2025 से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई, इसलिए अपीलार्थी ने यह अपील पेश कर, लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि मुकन्द सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.10.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से सूचना चाही थी, जिसकी प्रति अपीलार्थी ने संलग्न नहीं की है।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक सू.का.अ./2025/678 दिनांक 04.11.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22.05.2025 द्वारा वांछित सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित है:

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1	प्रार्थी ने आरटीआई की धारा 7(1) में आवेदन किया है, 48 घण्टे में दस्तावेज प्रमाणित चाहे है, प्रार्थी के जीवन में कभी भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है [illegible] गये दस्तावेज जीवन एवं संघर्ष से जु[illegible] है तय समय अतिआवश्यक है, अगर तय समय में दस्तावेज नहीं मिलते है तो जीवन व संघर्ष में अनेकों प्रकार से अप्रिय घटना घट समती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पीईओ की होगी। तय समय में सूचनाएं दिलवाने का दायित्व निभाने का श्रम करावें।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च) में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई सामग्री इनमें ज्ञापन, [illegible], सलाह, प्रेस [illegible]प्ति, परिपत्र आदेश, लॉग [illegible] संविदा रिपोर्ट, कागज [illegible], मॉडल आंकड़ो संबंधी सामग्री शामिल [illegible] लोक सूचना अधिकारी [illegible] सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:08 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 110 / 2025
(GCMS No. 2025/438)
(RTI No. :)

		समाधान या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।
2	जिलाधीश कार्यालय, श्रीगंगानगर डाक शाखा में दिनांक 25.03.2025 के क्रमांक 168 आरटीआई शाखा में प्रेषित प्रार्थना पत्र किया गया है, यही प्रार्थना पत्र भारतीय डाक रजिस्ट्री क्रमांक 43900298आईएन द्वारा प्रेषित जिला कार्यालय में किया गया था। इसी क्रम में दूसरा प्रार्थना पत्र दिनांक 11.09.2025 को मय सील सहित डाक शाखा में प्रेषित किया गया है। यह दोनों प्रार्थना पत्रों में बनाम कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर में न्याय शाखा में संजीव कुमार, चन्दन शर्मा वर्तमान सुखविन्द्र कार्यरत बाबुओं को आरोपी बनाया है, दोनों प्रार्थना पत्रों की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	इस कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार दस्तावेज प्रमाणित प्रति संलग्न है।
3	जिलाधीश महोदय कार्यालय में श्रीगंगानगर में दिनांक 11.09.2025 को प्रार्थना पत्र विषय – पंचायत समिति रायसिंहनगर में सहायक अभियंता संजय जाखड़ द्वारा नियम विरूद्ध चार्ज ग्रहण करने संबंधी शिकायत है। इस शिकायत का प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
4	अप्रार्थी, अपरिवादी का स्पष्टीकरण की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	बिन्दु संख्या 1 अनुसार
5	शिकायतकर्त्ता के ब्यानों की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	बिन्दु संख्या 1 अनुसार
6	शिकायतों का निर्णय, फैसला करने वाले लोक सेवकों के पदनाम व कार्यालय की मयशील सहित दस्जावेज चाहा है।	बिन्दु संख्या 1 अनुसार
7	शिकायतों की जांच रिपोर्ट की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	बिन्दु संख्या 1 अनुसार
8	शिकायतों की जांच करने वाले लोक सेवकों ने जांच ट्रेनिंग की गई है तो जांच ट्रेनिंग की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	बिन्दु संख्या 1 अनुसार
9	शिकायतों का निर्णय व जांच करने का तय समय का दस्तावेज चाहा है।	बिन्दु संख्या 1 अनुसार
10	शिकायतों के संबंध में निर्णय व [illegible] के संबंध में शिकायत [illegible] लोकसेवक की टेबल पर दिया है [illegible] व क्रमानुसार लोकसेवक का पदनाम [illegible] अन्त में जिस लोकसेवक ने निर्णय किया है उस लोकसेवक का पदनाम की सूची के दस्तावेज चाहे है।	बिन्दु संख्या 1 अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

12	शिकायतों के जांच के संबंध में प्रारम्भिक जांच करने के लिए दिए गए निर्देशों व आदेशों (राज्य सरकार द्वारा दिए गए परिपत्र, आदेशों) की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	बिन्दु संख्या 1 अनुसार
13	शिकायतों एवं दोषी लोकसेवकों के पदनाम की सूची प्रमाणित चाही है।	बिन्दु संख्या 1 अनुसार
14	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर में दिनांक 29.08.2025 को आरटीआई आवेदन का गलत जवाब बिन्दु नं. छः मूवमेन्ट पंजिका रजिस्टर को व्यक्तिगत एवं निजी बताकर सूचनाएं नहीं दी गई। व्यक्तिगत होने का प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	बिन्दु संख्या 1 अनुसार
15	उपजिला कलक्टर रायसिंहनगर के जनवरी 2025 से 20 अगस्त 2025 तक मूवमेंट पंजिका संधारित की गई है अथवा संधारित नहीं की गई। स्पष्ट दस्तावेज प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	बिन्दु संख्या 1 अनुसार
16	उपजिला कलक्टर सुभाषचन्द ने एक मार्च 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक की लोकबुक व दैनिक पंजिका रजिस्टर के पृष्ठों के दस्तावेज चाहे है। मूवमेंट पंजिका, लोकबुक, दैनिक पंजिका सरकारी दस्तावेज है या फिर निजी, व्यक्तिगत है, इसका प्रमाणित दसतवेज उपजिला कलक्टर कार्यालय से एसडीएम सुभाषचन्द्र के कार्य संबंधी चाहा है।	बिन्दु संख्या 1 अनुसार
17	पीईओ की सुविधा के लिए शिकायतों की चार पेज फोटोकॉपी संलग्न कर रहा है। (सूचनाएं देने में सुविधा रहेगी)	बिन्दु संख्या 1 अनुसार
18	आईपीओ क्रमांक 64एफ 4823622 भर कर पीईओ भुगतान कर लेवे, प्रार्थी मुकन्द सिंह सहमति देता है।	बिन्दु संख्या 1 अनुसार

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक **सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **लोक सूचना अधिकारी** द्वारा अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी,** रायसिहनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:08 IST
Reason: SelfAttested